रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-06052026-272273
SG-DL-W-06052026-272273

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] दिल्ली, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2026, बृहस्पतिवार/वैशाख 4—वैशाख 10, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15 से 16
No. 6] DELHI, APRIL 24 —APRIL 30, 2026, THURSDAY/VAISAKHA 4—VAISAKHA 10 1948 [N.C.T.D. No. 15 to 16

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2026

सं. 27/स्था.I/ई.I.-1/डीएचसी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय कर्मचारी (वरिष्ठता) नियम, 1971' के नियम 6 को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार सहर्ष संशोधित करते हैं :-

"6. यदि चयन सीधी भर्ती एवं पदोन्नति, दोनों पद्धतियों द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/2/2019-स्था.(डी), दिनांक 13.08.2021 में प्रतिपादित सिद्धांत लागू होंगे।"

आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd March, 2026

No. 27/Estt.I/EI-1/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend Rule 6 of 'Delhi High Court Staff (Seniority) Rules, 1971' with immediate effect as under:-

"6. In case there is selection by both mode i.e. direct recruitment and by promotion, then principles laid down in the Office Memorandum No. 20011/2/2019-Estt.(D) dated 13.08.2021 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, Government of India, will apply."

By Order,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मार्च, 2026

सं. 29/ईI-4/स्था.-I/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 1972 की अनुसूची-II (क) के क्रम संख्या 25 और 26 के खंड (ग) में "नियुक्ति का तरीका" शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित शब्दों 'और साक्षात्कार' को हटाते हुए सहर्ष संशोधन करते हैं। इस संशोधन के पश्चात्, अब क्रम संख्या 25 और 26 का उक्त खंड (ग) निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**पद की श्रेणी एवं वेतन स्तर**	**पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता**	**नियुक्ति का तरीका**
25 एवं 26	कनिष्ठ न्यायिक सहायक / रिस्टोरर (7 वें वेतन आयोग का वेतन स्तर-6)	(क) xxx xxx, (ख) xxx xxx (ग) उच्च न्यायालय की स्थापना के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा: स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ अंग्रेजी का ज्ञान ; 27 (चालक) , 28 [डिस्पैच वैन चालक (राइडर)], 29 (डिस्पैच राइडर), 30 (डिस्पैच राइडर -सह- प्रोसेस सर्वर), 31 (फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर ग्रेड -I), 32 (पुस्तकालय परिचारक), 33 (अशर), 34 (फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर ग्रेड- II), 35 (न्यायालय परिचारक), 36 [न्यायालय परिचारक (एल)], 37 [न्यायालय परिचारक (एस)], 38 [कक्ष परिचारक (एच)] एवं 39 (सुरक्षा	(क) xxx xxx, (ख) xxx xxx (ग) नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि और उपयुक्तता के अनुसार निर्धारित वरिष्ठता के आधार पर कॉलम सं. 3 में उल्लिखित पदों में से पदोन्नति द्वारा 5 प्रतिशत पद जो कंप्यूटर पर 25 श.प्र.मि. की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा | [उपरोक्त (ख) और (ग) व्यक्तियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु दो अवसर प्रदान किए जाएँगे और टंकण परीक्षाएं एक माह के अंदर आयोजित की जाएँगी परन्तु पहली टंकण परीक्षा की तिथि से 15 दिन से पहले नहीं।

		परिचारक) में से किसी भी श्रेणी में दस वर्ष की सेवा |	

नोट : उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 27th March, 2026

No. 29/EI-4/Estt.-I/DHC.—In exercise of powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend Clause (c) of Sl. No. 25 and 26 of the Schedule-II (A) to the Delhi High Court Establishment (Appointment & Conditions of Service) Rules, 1972 by deleting the words 'and interview' mentioned therein under the heading "Mode of Appointment". After amendment, now, the said clause (c) of Sl. No. 25 and 26 reads as under:-

S. No.	**CATEGORY OF POST AND PAY LEVEL**	**MINIMUM QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR APPOINTMENT TO THE POSTS**	**MODE OF APPOINTMENT**	
25. & 26.	**Junior Judicial Assistant/Restorer** (Pay Level-6 of 7th Pay Commission)	(a) xxx xxx,	(a).	xxx xxx,
		(b) xxx xxx,	(b).	xxx xxx,
		(c) By promotion from members of the Establishment of the High Court: Graduation or equivalent with knowledge of English; having ten years service in any of the categories 27 (Chauffeur). 28 [Despatch Van Driver (Rider)], 29 (Despatch Rider), 30 (Despatch Rider-cum-Process Server), 31 (Photocopy Machine Operator Grade-1), 32 (Library Attendant), 33 (Usher), 34 (Photocopy Machine Operator Grade II), 35 (Court Attendant), 36 [Court Attendant (L)], 37 [Court Attendant(S)), 38 [Room Attendant (H)] and 39 (Security Attendant).	(c).	5% of the posts by promotion from the posts mentioned in Column No.3 on the basis of seniority determined as per length of service from the date of appointment and suitability, subject to clearing the typing test in English with speed of not less than 25 w.p.m. on computer. [For persons (b) & (c) above, they shall be given two chances to clear the typing test and the typing tests shall be held within a period of one month but not earlier than 15 days from the date of first typing test].

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.06 15:27:37 +05'30'